

बिहार सरकार

खेल विभाग

—:संकल्प:-

संख्या-5/खे.वि. 8-02/2024.....798/

पटना, दिनांक-25.6/2024

विषय :- राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल का आधारभूत संरचना के विकसित करने तथा खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मंत्रिपरिषद् की दिनांक-20.06.2024 को संपन्न बैठक की मद संख्या-17 में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब का सम्बद्ध बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से होगा, इनके पर्यवेक्षण में क्लब कार्य करेगा।

3. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब के गतिविधियों एवं कार्य के विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब को प्रति वर्ष समुचित राशि खेल विभाग से अनुमोदनोपरांत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा दिया जायेगा।

5. प्रत्येक नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में एक खेल मैदान चिन्हित किया जायेगा, मैदान नहीं होने की स्थिति में भूमि का अधिग्रहण विभाग द्वारा किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

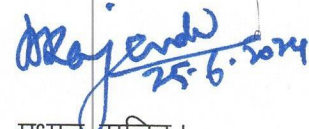
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(डॉ० बी० राजेन्दर)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-5/खे.वि. 8-02/2024.....798/पटना, दिनांक-25.6/2024 प्रतिलिपि:- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-80007 को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग में भेजने की कृपा की जाय।


25.6.2024

प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
खेल विभाग

—संकल्प:—

संख्या-5/खे.वि. 8-02/2024...798/

पटना, दिनांक-25.6/2024

विषय :- राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल का आधारभूत संरचना के विकसित करने तथा खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मंत्रिपरिषद् की दिनांक-20.06.2024 को संपन्न बैठक की मद संख्या-17 में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब का सम्बद्ध बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से होगा, इनके पर्यवेक्षण में क्लब कार्य करेगा।

3. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब के गतिविधियों एवं कार्य के विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब को प्रति वर्ष समुचित राशि खेल विभाग से अनुमोदनोपरांत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा दिया जायेगा।

5. प्रत्येक नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में एक खेल मैदान चिह्नित किया जायेगा, मैदान नहीं होने की स्थिति में भूमि का अधिग्रहण विभाग द्वारा किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(डॉ० बी० राजेन्दर)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-5/खे.वि. 8-02/2024...798/पटना, दिनांक-25.6/2024 प्रतिलिपि:-✓अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-80007 को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग में भेजने की कृपा की जाय।

Rajendra
25.6.2024

प्रधान सचिव।